ग्राम पंचायत औरा, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024

भाग-एक

1 **प्रस्तावना**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत औरा, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 के लेखों का अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक के दौरान ग्राम पचांयत औरा में निम्नलिखित प्रधान एवं सचिव कार्यरत रहे हैं।

प्रधान

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्रीमती सोनू देवी	01-04-2022 से 31.03.2024

सचिव

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री करतार सिंह	01.04.2022 to 13.08.2022
2.	श्रीमती नीना देवी	14.08.2022 to 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत औरा, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्र० सं०	पैरा संख्या	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1.	4.3	बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर	0.04

		पाया जाना	
2.	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	37.05
3.	7.1	पंचायत राजस्व, (गृहकर) की बकाया वसूली न करने बारे।	0.66
4.	7.2	विवाह पंजीकरण के विलम्ब शुल्क की वसूली न करने के कारण वित्तीय हानि	0.02
5.	8.2	रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती न करने के कारण सरकारी राजस्व की सम्भावित हानि।	0.28
6.	8.3	GST की अपेक्षित कटौती न करने के कारण सरकारी राजस्व की सम्भावित हानि।	0.14
7.	9.1	मस्ट्रोलों के व्यय/भुगतान में पाई गई वित्तीय व अन्य अनियमितताओं बारे	0.39
8.	9.2	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय।	0.81
9.	9.3	सामान/स्टोर की स्टॉक प्रविष्टियाँ व रजिस्टरों का संधारण नियमानुसार न करने बारे	0.47
10.	9.4 (i, ii)	14वां वित्त आयोग से अनुचित /अनियमित भुगतान करने बारे	0.36
11	10.3	प्रियासॉफ्ट व मैनुअल संधारित लेखों में भारी अन्तर	1.11

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत औरा, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 01-04-22 से 31-03-24 के लेखों का वर्तमान एवं प्रथम अंकेक्षण श्री राकेश कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 27-04-2024 से 05-05-2024 तक ग्राम पंचायत औरा के कार्यालय में किया गया। वर्तमान लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2021-2022	02/2023	05/2022
2.	2022-2023	08/2023	06/2023

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदाई नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत औरा, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 01-04-22 से 31-03-24 तक के लेखों के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹4800/- आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को भेजने हेतु पंचायत सचिव से अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2024-25/ GP AURA/11 दिनांक:-04.05.2024 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत औरा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

4.1 (क) स्व:-स्त्रोत व अनुदान

ग्राम पंचायत औरा के अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक स्व:-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट- 1** में भी दिया गया है:-

(i) स्व:-स्त्रोत

वित्तीय वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹)
2022-23	856980	207559	1064539	409774	654765
2023-24	654765	47611.21	702376.21	137390	564986.21

(ii) अनुदान

वित्तीय वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹)
2022-23	3642902.52	6406843.51	10049746.03	6231176.79	3818569.24
2023-24	3818569.24	5532185.8	9350755.04	5645038	3705717.04

कुल योग (i + ii) = ₹564986.21 + 3705717.04 = ₹ 4270703.25

(ख) ग्राम पचांयत औरा, विकास खण्ड भरमौर जिला चम्बा (हि०प्र०)

दिनांक 31/03/2024 को बैंक खातों में अन्तशेष का विवरण

क्रम संख्या	खाता संख्या	शाखा	अनुदान का नाम	राशि (₹)
1	18410100461	HPSCB GAROLA	5TH SFC /SF/NUCLUS/VMJS/N DRF/CD-4515	**1394133**
2	9910130002708	HPGB DURGETHI	GENERAL HEAD /5TH SFC /SF/NUCLUS/VMJS/N DRF/CD-4515	**100575.2**
3	50100313554784	HDFC BHARMOUR	15TH FC	**2160144**
4	99171100000042	HPGB DURGETHI	LADA	**355345**
5	100172419256	INDUSLND BANK CHAMBA	CSC	**256270**
			Total	4266467

अन्तर (क-ख) **4270703.25**- 4266467.2= ₹**4236.05**

4.2 उपरोक्त वर्णित वित्तीय स्थिति के अनुसार रोकड़ बही व बैंक पासबुक में दिनांक 31-03-2024 को राशि ₹**4236.05** का अन्तर ग्राम पंचायत द्वारा मासिक बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण था।

4.3 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में ₹0.04 लाख का अन्तर पाया जाना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत औरा द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में

मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की थी जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2024 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹**4236.05** का अन्तर है, जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4 में दिया गया है।

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-SAD/CBA/RK/2024-25/GP AURA/10 दिनांक 03.05.2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा सूचित किया कि "भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा।"

अतः भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये। वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा वस्तु स्थिति अनुसार कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

5 अकुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण अतिरिक्त ब्याज की आय से वंचित होना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीयकृत बैंक सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है। ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों (स्वः-स्त्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है।

अतः भविष्य में नियमानुसार कार्यवाई करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदान ₹37.05 लाख का अवरोधन :-

पंचायत द्वारा "**परिशिष्ट - 3**" पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2024 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹**3705717.04** की राशि (रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण

धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओ से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। यह अनियमितता सम्बन्धित पंचायत के कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को भी इंगित करती है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-SAD/CBA/RK/2024-25/ GP AURA/04 दिनांक 01.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत औरा के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतियुत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि "भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा।"

अत: अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹0.66 लाख की वसूली न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, समस्त राजस्व को नियमित व अविलम्ब रूप से वसूलने व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव को नियम 77(4) व फॉर्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का मांग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा सम्पति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पति कर की वार्षिक मांग व गत बकाया बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चूककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अनुसार निम्नलिखित **₹66550**/- की राशि वसूली हेतु शेष थी।

दिनांक 31-03-2024 को गृह कर बकाया राशि का विवरण

क्र० स०	वितीय वर्ष	अथशेष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर प्रति /परिवार	वर्ष के दौरान माँग	कुल योग	वर्ष के दौरान वसूली	वसूली हेतु शेष बकाया राशि
1	2022-23	53910	316	20	6320	60230	0	60230
2	2023-24	60230	316	20	6320	66550	0	66550

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2024-25/GP AURA/03 दिनांक 30-04-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उतर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः सम्पति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण के विलम्ब शुल्क की वसूली न करने के कारण राशि ₹2650/-की वित्तीय हानि :-

हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1996 की धारा 22 एवं हि०प्र० सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)-1/97, दिनांक 17-12-2004 व SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04-10-2016 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marrige-8107-10 दिनांक 28-10-2016 के अनुसार विवाह पंजीकरण का सामान्य श्रेणी हेतु पंजीकरण की धारा 8(1) के प्रावधानों के तहत ₹200 (30 दिन के अंदर) व BPL/IRDP से राशि ₹25 (30 दिन के अंदर) तदोपरांत ₹400 (30 से 90 दिन के अंदर) व BPL/IRDP से राशि ₹50 (30 से 90 दिन के अंदर) की वसूली की जानी अपेक्षित थी एवं वसूली गई फीस को सरकारी राजकोष के प्राप्ति शीर्षक खाता संख्या "0235-00-800-03" में विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है।

अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, **परिशिष्ट -4** अनुसार उक्त पंचायत सचिव द्वारा वर्ष 2022-23, 2023-24 के विवाह पंजीकरण शुल्क की व विलम्ब शुल्क की वसूली नहीं की गई जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। पंचायत सचिव की लापरवाही के कारण सरकार को राशि ₹2650/- की वितीय हानि हुई तथा विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाया गया है अपितु इसे बैंक के निधि खाते में रखा गया है जोकि उक्त नियमानुसार अनुचित है।

इस सम्बन्ध में जारी अधियाचना संख्या-10 दिनांक 03-05-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि "विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली कर ली जाएगी।" अत: उपरोक्त राशि को सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

8.1 निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन मापन पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक ,तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान तकनिकी सहायक वह कनिष्ट अभियंता स्तर पर करवाए गए विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन,मापन पुस्तिका इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव में उक्त कर्मचारियों के स्तर पर किये गए कार्यों व उसमे प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय,खपत,सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

इस सम्बध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 07 दिनांक 02-05-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि उक्त अभिलेख अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जायेगे। अतः उक्त अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए व् अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.2 ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से रॉयल्टी न वसूलने के कारण सरकार को ₹0.28 लाख के राजस्व की सम्भावित वित्तीय हानि :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स (कन्सेशन) एवं मिनरल्स (प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रान्सपोटेशन एन्ड स्टोरेज) नियमावली 2015 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार विकास/निर्माण कार्यों पर उपयोग की जाने वाली सामाग्री के लिए ठेकेदार/आपूतिकर्ता को खनन विभाग से अन्नापति प्रमाण पत्र/M-फॉर्म,XY-फॉर्म प्राप्त कर सम्बंधित पंचायत को देना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत औरा , विकास खण्ड भरमौर , जिला चम्बा की अंकेक्षण अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त नियमों एवं आदेशों की पूर्णत: अवहेलना की जा रही थी। पंचायत द्वारा ठेकेदारों से न तो कोई अन्नापति प्रमाण पत्र/ XY-फॉर्म /M-फॉर्म लिया गया था और न ही रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती की गई थी फलस्वरूप सरकार को कुल ₹28687/- (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट " 5 "** में दिया गया है।) की संभावित वित्तीय हानि हुई है।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2024-25/GP AURA/06 दिनांक 02.05.2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया, जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि "उक्त क्रय सामग्री हेतु रॉयल्टी की कटौती सम्बन्धित संविदाकारों से करके उसे सरकारी कोष में जमा करवा कर कृत कार्यवाही से विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा एवं भविष्य में M-फार्म/X-फार्म न होने की स्थिति में नियमानुसार रॉयल्टी की कटौती की जायेगी एवं उसे समय पर सरकारी कोष में भी जमा करवा दिया जायेगा।"

अत: पंचायत द्वारा रॉयल्टी न काटा जाना न केवल सरकारी आदेशों की अवहेलना है परन्तु सप्लाईर/ठेकेदार को अनुचित लाभ देकर सरकारी राजस्व की भी वित्तीय हानि है।

अत: भविष्य में अनापत्ति प्रमाण पत्र/XY-फॉर्म/M-फ़ार्म न होने की दशा में रॉयल्टी की कटौती नियमित रूप से करके सरकारी कोष में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये एवं वर्तमान में रायल्टी न काटे जाने को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की रॉयल्टी की वसूली उचित स्त्रोत से करके शीघ्रअतिशीघ्र सरकारी कोष में जमा करवा कर कृत कार्यवाही/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.3 प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) के तौर पर राशि ₹0.14 लाख की सम्भावित वित्तीय हानि बारे :-

केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार रेत, बजरी एवं पत्थर इत्यादि पर 5% की दर से GST का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों के नमूना/चयनित अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान आपूर्तिकर्ता का GST धारक होने पर वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 हेतु निविदा स्वीकृत की गई थी परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा इन्हें राशि ₹**296893**/- का भुगतान (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट "5" में दिया गया है।) किसी प्रॉपर/कंप्यूटर जेनरेटड/टैक्स बिल पर न करके एक सादे कागज़ पर कर दिया गया है। तथा न ही पंचायत द्वारा किसी भी तरह के GST को सरकारी खजाने में जमा करने सम्बंधित चालान अंकेक्षण को प्रस्तुत किये गये जिससे इन बिलों की सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। यह न केवल अनुचित प्रक्रिया है अपितु एक प्रॉपर टैक्स बिल के अभाव में सरकार को देय वस्तु व सेवा कर (GST) के तौर पर लगभग राशि ₹14845/- की सम्भावित वित्तीय हानि भी हुई है।

इस गम्भीर अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2024-25/GP AURA/06 दिनांक 02-05-2024 के प्रत्युतर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, GST की कटौती आपूर्तिकर्ताओं से वसूल कर ली जाएगी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पंचायत द्वारा गठित उप-क्रय समिति द्वारा कुटेशनों एवं क्रय के समय बिलों की उचित जांच पड़ताल नहीं की गई जिससे कि उक्त आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित तरीके से भुगतान प्राप्त किया गया जिससे कि सरकार को वस्तु एवं सेवा कर की वित्तीय हानि होने के साथ-साथ किया गया भुगतान भी संदिग्ध प्रतीत होता है जोकि एक अत्यंत गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अत: उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में बिना टैक्स बिल के भुगतान करने का औचित्य तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाये एवं उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यदि कोई उक्त बिलों के सम्बन्ध में कर भुगतान किया गया हो तो उनका साक्ष्य अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ अंकेक्षण विभाग को शीघ्र प्रेषित किया जाये अन्यथा नियमाविरुद्ध किये गए भुगतानों पर देय कर की पूर्ण गणना उपरान्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें। यह गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय के साथ लाया जाता है कि; ऐसे प्रकरणों की गहन जांच की जाये ताकि किसी भी प्रकार से सार्वजानिक धन के दुरूपयोग एवं कर अदेयता के मामलों की सम्भावना को पूर्णत: नकारा जा सके।

8.5 राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा सभी चल-अचल सम्पतियों को दर्ज न करने बारे:-

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लिकेशन हैं जिनसे पंचायत की दैनिक कार्यवाही जैसे कि पंचायत द्वारा की गई सेवाओं, सामान के खरीद, भुगतान एवं पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का (उनके वास्तविक मूल्य पर) इन्द्राज करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत औरा के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल-अचल सम्पतियों एवं किये गए कार्यों को इन्द्राज/दर्ज नहीं किया गया था। जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि तक कई कार्यों को पूर्ण किया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी कार्य उक्त एप्लीकेशन में नहीं किया जा रहा था जोकि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतया अवहेलना है। जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.1 ₹0.39 लाख के मस्ट्रोलों के भुगतान में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1)(2) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित भुगतान ग्राम पंचायत के प्रधान और संबद्ध सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति एवं नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगी।

ग्राम पंचायत औरा के लेखों की नमूना/चयनित माहों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अग्रतालिका के विवरणानुसार व्यय किया गया था जिसमें निम्नलिखित विभिन्न अनियमिततायें पाई गई :-

1. संकर्म समिति, सतकर्ता समिति के सदस्यों के मस्ट्रोल पर हस्ताक्षर नहीं करवाये गए थे। जबकि उक्त वर्णित नियमानुसार पंचायत स्तर के विभिन्न संकर्मों के निष्पादन हेतु उक्त दोनों समितियों का होना व हस्ताक्षर करना आवश्यक है। इसके बिना पंचायत स्तर के कार्यों की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती।

2. बिना पे-ऑर्डर एवं प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही भुगतान कर दिया गया था। जोकि उपरोक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। जबकि उक्त नियमानुसार कोई भी संदाय/भुगतान इसमें वर्णित प्रावधानों के बिना नहीं हो सकता था।

3. मस्ट्रोल में दर्ज कुल मजदूरों की उपस्थिति को प्रधान/सम्बन्धित वार्ड सदस्य द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। जोकि उनकी वास्तविक उपस्थिति की पुष्टि को सन्देहजनक बनाता है।

मस्टरोल संख्या	रोकड़ बही पृष्ट संख्या /दिनांक	राशि	विवरण	मद	कार्य का नाम
11412	16/25.06.23	18354	LABOUR PAYMENT	15TH FC	C/O PANIHARA AT THALLA
10190	04/5.05.22	21000	LABOUR PAYMENT	14TH FC	C/O RANG ROGAN PANCHAYAT GHAR
	Total	**39354**			

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 08 दिनांक 02.05.2024 के द्वारा उक्त प्रकरण को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत औरा के ध्यानार्थ लाया गया था जिसके प्रतियुत्तर में सचिव द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि "उक्त वर्णित अनियमितताओं की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं की जायेगी तथा कृत कार्यवाही से अवगत करवा दिया जायेगा।"

अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.2 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही ₹0.81 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते व नियम 2002 के नियम 67(4),67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें यथा निविदायें,(Tenders) कुटेशन (Quatations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची ,आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है। तथा इसके अतिरिक्त

पंचायत के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत औरा द्वारा राशि **₹81420**/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। उक्त राशि की सामग्री व सेवाओं का क्रय औपचारिकतायें पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जिससे कि ग्राम पंचायत को न केवल बाजारी प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित होना पड़ा बल्कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के नियमों की अवहेलना भी की गई जोकि एक गम्भीर अनियमितिता है।

क्र० सं	वाउचर संख्या /दिनांक	निधि का नाम	विवरण	मद का विवरण	राशि (₹)
1	02/27.04.22	SF	SAWROOPA NAND & SONS	HARDWARE GOODS	15110
2	05/25.04.23	15TH FC	M/S JK TRADERS PO GEHRA	HARDWARE GOODS	10000
3	12/25.04.23	15TH FC	M/S JK TRADERS PO GEHRA	MS PIPES	21250
4	14/25.06.23	15TH FC	YOGESH KUMAR CONTRACTOR CHAMBA	SLATE TILES	10060
5	04/10.04.23	SF	M/S MANIMAHESH PRINTING PRESS	STATIONARY	10000
6	16/13.08.23	SF	RAM COMMUNICATION BHARMOUR	PILLER HITTER AND KEYBOARD	5000

7	15/30.12.21	MNREGA	PAWAN KUMAR SO HARI CHAND	CARRIAGE	10000
				TOTAL	81420

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 05 दिनांक 01-05-2024 द्वारा उक्त प्रकरण वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत औरा के ध्यानार्थ लाया गया था जिसके प्रतियुत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि "भविष्य में सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करके ही क्रय किया जायेगा।" प्रस्तुत उत्तर तर्कसंगत नहीं है।

अतः इस अनियमितता की सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति लेकर इस व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा आवश्यक विधिवत औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना, की गई खरीद से हुई हानि की प्रतिपूर्ति को उचित स्त्रोत से वसूल कर सम्बन्धित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.3 राशि ₹0.47 लाख के सामान/स्टोर की स्टॉक प्रविष्टियाँ व रजिस्टरों का संधारण नियमानुसार न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के चैप्टर-8 नियम 69 के अनुसार सारा स्टोर (सामान) जब प्राप्त किया जाता है, परिदान के समय, उसका यथास्थिति, परिक्षण, गणना, माप या तोल किया जायेगा और तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा। किसी एकल दिवस की प्रविष्टियों के अंत में यथास्थिति ग्राम पंचायत सचिव द्वारा स्टॉक (सामान) उचित स्थिति का प्रमाण पत्र दिया जायेगा। अधिशेष यदि कोई है; का विवरण और कोई कमी (यदि कोई है) लाल स्याही से उपदर्शित की जायेगी।

परन्तु पंचायत के नमूना/चयनित अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राशि ₹47010.00 के स्टॉक/स्टोर का क्रय किया गया था किन्तु उक्त की स्टॉक प्रविष्टी नही की गई थी

क्र. सं.	वाउचर संख्या /दिनांक	निधि का नाम	विवरण	मद का विवरण	राशि (₹)
1	02/27.04.22	SF	SAWROOPA NAND & SONS	HARDWARE GOODS	15110
2	04/10.04.23	SF	M/S MANIMAHESH PRINTING PRESS	STATIONARY	10000
3	13/25.06.23	15TH FC	ITC SOLUTION	MULTI	12900

				DONGLE AND TFT MONITOR	
4	20/04.08.23	15TH FC	STAFFI CYBER MAGIC	CARTARAGE PURCHASE 5 NOS .	9000
				TOTAL	**47010**

इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2024-25/GP AURA/09 दिनांक 03-05-2024 द्वारा, सचिव को अवगत करवाया गया। इस सम्बन्ध में सचिव के द्वारा कि भविष्य में उक्त अनियमितता को नही दोहराया जायेगा, बारे आश्वस्त किया गया।

अतः नियमों के विरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार क्रय किये गए सामान के स्टॉक प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें एवं उक्त स्टॉक की प्रविष्टि करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये। सम्बंधित व्यक्ति से करके उचित स्त्रोत में जमा करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.4 (i) 14 वां वित्त आयोग से राशि ₹0.15 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 46 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा किये जाने वाले खर्चों को मितव्ययिता के साथ किये जाने के नियम प्रावधित हैं ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा 14 FC से निम्न विवरण अनुसार पंचायत द्वारा मोबाइल फ़ोन क्रय किया गया था किंतु उक्त मोबाईल फ़ोन क्रय करने से सम्बंधित कोई भी प्रावधान नही नही है जोकि एक गम्भीर वित्तीयअनियमितता है तथा किया गया व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है

क्र० सं०	वाउचर संख्या /दिनांक	निधि का नाम	विवरण	सामग्री का विवरण	राशि
1	35/07.02.23	14th fc	Ram communication bharmour distt chamba	mobile phone	14600

अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2024-25/GP AURA/10 दिनांक 03-5-2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था। इसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि इस अनियमितता को

भविष्य में नही दोहराया जायेगा तथा उक्त राशि की वसूली कर ली जाएगी अतः उक्त किये गये भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त की वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए व भविष्य में इस तरह की अनियमितता को न दोहराया जाए ।

ii) 14 वां तथा 15 वां वित्त आयोग से राशि ₹0.21 लाख का अनुचित भुगतान करने बारे:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 46 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा किये जाने वाले खर्चों को मितव्ययिता के साथ किये जाने के नियम प्रावधित हैं ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा 14th fc व 15th fc से निम्न विवरण अनुसार इंटरनेट डोंगल क्रय किया गया था जबकि पंचायत के अंतर्गत इंटरनेट सेवा हेतु वी सेट पहले से लगे हुए थे, इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा प्रिंटर कार्टेजें भी क्रय की गई थी जबकि प्रिंटर कार्टेजें दूसरी निधियों से भी क्रय की जा रही थी तथा उक्त क्रय की गई सामग्री की कोई खपत अथवा स्टॉक प्रविष्टि भी क्रमवार नही दिखाई गई थी। जोकि संदिग्ध प्रतीत होता तथा एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है।

क्र० सं	वाउचर संख्या /दिनांक	निधि का नाम	आपूर्तिकर्ता का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि	टिप्पणी
1	13/25.06.23	15TH FC	ITC SOLUTION	Multi Dongle And Tft Monitor	12900	Internet Rooter Purchase Already On Vr. 6 Dated 25.04.23
2	20/04.08.23	15TH FC	STAFFI CYBER MAGIC	Cartarage Purchase 5 Nos .	9000	Cartarage Already Purchase 2 Nos Vide Vr 613 Dated 25.06.23 And 1 Nos. Vr. No 04 Dated 10.04.23 From Sabha Fund And 1 Nos Purchase From Sf On Dated 13.08.23
				Total	**21900**	

अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2024-25/GP AURA/10 दिनांक 03-5-2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था। इसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि इस अनियमितता को भविष्य में नही दोहराया जायेगा तथा उक्त राशि की वसूली कर ली जाएगी अतः उक्त किये गये भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए व भविष्य में इस तरह की अनियमितता को न दोहराया जाए ।

10.1 रोकड़ बहियों का रख-रखाव/संधारण नियमानुसार न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़ बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है। रोकड़ बहियों में न तो प्रगतिशील योग किये गए हैं और न ही अथशेष व अंतशेष दर्शाए गए है ओर न ही ऑनलाइन रोकड़ बहियों को अंकेक्षण में उपलब्ध करवाया गया, जिससे कि पंचायत की वितीय स्थिति में अथशेष पंचायत द्वारा बनाई गई परीक्षा संतुलन सूची से लिए गए हैं जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़ बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही आय-व्यय तालिका तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-10 दिनांक 03-05-2023 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि; भविष्य में रोकड़ बहियों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा एवं ऑनलाइन रोकड़ बहियों को पंचायत अभिलेख में रख लिया जायेगा। अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

10.2 खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 4 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व:-स्त्रोत) के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व:-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया था। अपितु अन्य अनुदानों जैसे जिला, DPO 5th स्टेट व Sfc का पंचायत द्वारा स्व:-स्त्रोत के साथ एक ही बैंक खाता व एक ही रोकड़बही में संधारण किया जा रहा है। जिस कारण निकुलस मद से राशि ₹3120.00 की राशि का भुगतान सभा निधि से किया गया जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 10 दिनांक 03-05-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत औरा द्वारा सूचित किया कि, पंचायत के स्व स्त्रोत आय व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खुलवा लिया जाएगा व निकुलस मद पर व्यय राशी की प्रतिपूर्ति करके सभा निधि में जमा करवा दिया जायेगा।

अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.3 PRIYA SOFTWARE में संधारित लेखों तथा MANNUAL संधारित लेखों में ₹1.11 लाख के अन्तर बारे :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में E-PANCHAYT मिशन प्रोजेक्ट (MPP) प्रारम्भ की गई तथा जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि०प्र० कर रहा है इस योजना के क्रियान्वयन के साथ-साथ हि०प्र० पंचायती राज नियम (सामान्य) 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज़ रहित प्रणाली के अंतर्गत E-PANCHAYAT में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल तथा प्रिया सॉफ्टवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा है तथा जो लेखे PRIYA सॉफ्टवेर में बनाये गए थे वह मैन्युअल रोकड़बही लेखों व बैंक खातों से मेल नहीं खाते फलस्वरूप दिनांक 31-03-2024 को PRIYA सॉफ्टवेयर व मैनुअल लेखों में निम्नविवरणानुसार राशि 111216.44 का अन्तर पाया गया

31-03-2024 को PRYA सॉफ्टवेयर व मैनुअल लेखों संधारित लेखों (रोकड़ बही) में अन्तशेष

31-03-2024 को PRYASOFT में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	4159486.81
31-03-2024 को पंचायत द्वारा मेनुअल संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	4270703.25
अन्तर	111216.44

उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर ऐसा प्रतीत होता है कि: पंचायत सचिव द्वारा PRIYA सॉफ्टवेयर में आंकड़े सही ढंग से संधारित नहीं किये जा रहे हैं जोकि उक्त नियमों के स्पष्ट अवहेलना है इस सम्बन्ध में सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2024-25/GP AURA/10 दिनांक 03.05.2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके उत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि अन्तर का मिलान कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक प्रतीत नहीं है क्योंकि PRYA सॉफ्टवेयर में आंकड़ों का संधारण किया जाना पंचायती राज विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनिवार्य है

-37-

अत: दोनों अन्तर की छानबीन व पुनर्मिलान करके वस्तु स्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

10.4 महत्वपूर्ण रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29 से 31 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)
4.	माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
5.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6.	निर्माण कार्य रजिस्टर	--------	103
7.	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	31	95(1)
8 .	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए व बी

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10, दिनांक 03.05.2023 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि " भविष्य में विहित रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा।"

अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11. भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत औरा की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था जिसके बिना वॉउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से

सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12. लघु आपत्ति विवरणिका:- लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

13. निष्कर्ष :- उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्यवाही न करके वित्तीय व विविध अनियमिततायें की जा रही है। यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि, उक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में पंचायत के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक कार्यवाही अमल में लाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये जायें।

16.7.24
(कृष्ण लाल नेगी)
16 JUL 2024
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

3433-3437 का0/57

पृष्ठांकन संख्या:– फिन (एल0ए0) एच (पंच) 15 (7) 154/2024 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा समिति, हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा हि0प्र0।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत औरा, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

16 JUL 2024
16.7.24
(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

का0/57

परिशिष्ट - 1 पैरा संख्या 4 (अ) 1 के सन्दर्भ में

Financial Position of Own Sources in r/o		" GP AURA"		Dev. Block Bharmour	Distt Chamba H.P
Year	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
2021-22	856980	207559	1064539	409774	654765
2022-23	654765	47611.21	702376.21	137390	564986.21

सचिव
ग्राम पंचायत औरा
विकास खण्ड भरमौर

- 50 -

परिशिष्ट-2 पैरा संख्या 5.3(2) के सन्दर्भ में

Financial Position of Grant in Aid in r/o GP AURA D.B Bharmour Tehsil Bharmour Distt Chamba H.P

Year	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
021-22	3642902.52	6406843.51	10049746.03	6231176.79	3818569.24
022-23	3818569.24	5532185.8	9350755.04	5645038	3705717.04

सचिव
ग्राम पंचायत औरा
विकास खण्ड भरमौर

-41- परिशिष्ट-3 पैरा संख्या 6 के संदर्भ में
पैरा संख्या 4 क व 4 ख के संदर्भ में

Sr.no.	Grant in aid in r/o Gram Panchayat Particulars	" GP AURA" Op.Balance	Dev. Block Bharmour Receipt	Distt Chamba HP Total	Year Ended Expenditure	2022-23 Closing Balance
1	5TH SFC	18039.28	220440	238479.28	141400	97079.28
2	14TH FC	802318.28	233997	1036315.28	812201.48	224113.8
3	15TH FC	2122574.2	1208923	3331497.2	822163	2509334.2
4	IAY	3229	84	3313	3313	0
5	MNREGA	0	3561554.51	3561554.51	3561554.51	0
6	RAY	9429	246	9675	9675	0
7	IWMP-VII	86405	1174	87579	87579	0
8	WDF	14478	396	14874	1	14873
9	CSC	0	516353	516353	0	516353
10	LADA	336429.76	9452	345881.76	70.8	345810.96
11	VKVNY	200000	339764	539764	536885	2879
12	CD HEAD-2515	0	138000	138000	51324	86676
13	CD HEAD-4515	0	105000	105000	84806	20194
14	NICLUS	50000	0	50000	49000	1000
15	VMJS	0	71460	71460	71204	256
	Total	3642982.52	6406843.51	10049746.03	6231176.79	3818569.24

Sr.no.	Grant in aid in r/o Gram Panchayat	" GP AURA"	Dev. Block Bharmour	Distt Chamba HP-176315	Year Ended	2023-24
1	5TH SFC	97079.28	454009	551088.28	367350	183738.28
2	14TH FC	224113.8	148	224261.8	42119.8	182142
3	15TH FC	2509334.2	369515.8	2878850	718706	2160144
4	IAY	0	0	0	0	0
5	MNREGA	0	4156683	4156683	4156683	0
6	RAY	0	0	0	0	0
7	IWMP-VII	0	0	0	0	0
8	WDF	14873	280	15153	15153	0
9	CSC	516353	18917	535270	279000	256270
10	LADA	345810.96	9633	355443.96	106.2	355337.76
11	VKVNY	2879	0	2879	0	2879
12	CD HEAD 2515	86676	0	86676	0	86676
13	CD HEAD -4515	20194	313000	333194	31800	301394
14	NUCLUS	1000	30000	31000	34120	-3120
15	VMJS	256	120000	120256	0	120256
16	SDRF	0	60000	60000	0	60000
	Total	3818569.24	5532185.8	9350755.04	5645038	3705717.04

Sr.no.	Balance as Per Bank on 31.03.24 A/c No	Branch	Head	Amount
1	18410100461,	HPSCB GAROLA	5TH SFC /SF/NUCLUS/VMJS/NDRF/CD-4515	1394133
2	9910130002708,	HPGB DURGETHI	GENERAL HEAD /5TH SFC /SF/NUCLUS/VMJS/NDRF/CD-4515	100575.2
3	50100313554784,	HDFC BHARMOUR	15TH FC	2160144
4	99171100000042,	HPGB DURGETHI	LADA	355345
5	100172419256,	INDUSLND BANK CHAMBA	CSC	256270
		Cash In Hand		0
	Total			4266467.2

Sr.no.	Particulars	Head		Amount
1	Cash Book Balance on 31.03.2024	(Own Source)		564986.21
2	Cash Book Balance on 31.03.2024	5TH SFC		183738.28
3	Cash Book Balance on 31.03.2024	14TH FC		182142
4	Cash Book Balance on 31.03.2024	15TH FC		2160144
5	Cash Book Balance on 31.03.2024	IAY		0
6	Cash Book Balance on 31.03.2024	MNREGA		0
7	Cash Book Balance on 31.03.2024	RAY		0
8	Cash Book Balance on 31.03.2024	IWMP-VII		0
9	Cash Book Balance on 31.03.2024	WDF		0
10	Cash Book Balance on 31.03.2024	CSC		256270
11	Cash Book Balance on 31.03.2024	LADA		355337.76
12	Cash Book Balance on 31.03.2024	VKVNY		2879
13	Cash Book Balance on 31.03.2024	CD HEAD 2515		86676
14	Cash Book Balance on 31.03.2024	CD HEAD -4515		301394
15	Cash Book Balance on 31.03.2024	NUCLUS		-3120
16	Cash Book Balance on 31.03.2024	VMJS		120256
17	Cash Book Balance on 31.03.2024	SDRF		60000
			Total	4270703.25
			Diffrence	4236.05

Note :-1.Online cash book (e gram sawraj) not produced in audit
2.Opening Balance & Closing Balance Not Taken in General Mannual Cash Book So opening balances taken from Bank Pass book
3. Progressive Total Not Taken in Mannual Cash Book
4.Mnrega cash book not produced so income and expenditure taken from mnrega financial position

22

सचिव
ग्राम पंचायत औरा
विकास खण्ड भरमौर

-42- परिशिष्ट -5 पैरा [illegible] 7.2 के सदर्भ में

कार्यालय ग्रांम पंचायत औरा विकास खण्ड भरमौर जिला चंबा हि0-प्र वर्ष 1-4-2022 से 31-3-2023 तक विवाह की फ़ीस प्राप्त की गई ।

क्र. सं	नाम व् पता	विवाह की तिथि	पंजी करण की तिथि	बसूल की गई राशि	सरकारी कोष में जमा नही की गई राशि
1	अरुण कुमार S/o जीत राम	13-4-2022	26-04-2022	200-00	200-00
2	नितंन S/o पाधो राम	23-4-2-22	17-05-2022	200-00	200-00
3	अनु शर्मा S/o कृष्णदत	11-06-2-22	20-06-2022	50-00	50-00
4	सुन्दर लाल S/o अमरो राम	10-05-2022	20-06-2022	200-00	200-00
5	मनोज कुमार S/o बुधो	18-05-2022	20-06-2022	25-00	25-00
6	अरुण शर्मा S/o प्रीतम चंद	08-07-2022	14-07-2022	200-00	200-00
7	पंकज S/o अर्जुन	08-07-2022	14-07-2022	25-00	25-00
8	अमित शर्मा S/o नन्द लाल	08-07-2022	18-07-2022	25-00	25-00
9	अक्षय कुमार S/o मुंशी	06-07-2022	18-07-2022	200-00	200-00
10	प्रवेश कुमार S/o कृष्ण	27-07-2022	04-08-2022	200-00	200-00
11	अशवनी कुमार S/o तिलक राज	26-09-2022	06-10-2022	200-00	200-00
12	हरवंश S/o माधो	4-12-2022	20-12-2023	200-00	200-00
				योग	1725-00
		1-4-2023	से 31-3-2024 तक		
1	अवकाश भारद्वाज S/o हाकम चंद	27-06-23	15-07-23	200-00	200-00
2	अनिल कुमार S/o प्रिथो राम	23-06-23	15-07-23	25-00	25-00
3	सतीश कुमार S/o पुन्नू राम	09-07-23	28-07-23	200-00	200-00
4	आन्द कुमार S/o कन्हैया लाल	25-09-23	25-10-23	200-00	200-00
5	कुलदीप चंद S/o प्रताप चंद	22-11-23	30-11-23	200-00	200-00
6	पवन कुमार S/o राम सिंह	03-08-23	12-09-24	50-00	50-00
7	शशि पाल S/o राज कुमार	29-11-23	13-01-24	50-00	50-00
				योग	925-00
				कुल योग	2650

सचिव
ग्राम पंचायत औरा
विकास खण्ड भरमौर

23

GP 'AJRA" DEV. BLOCK BHARMOUR, DISTT CHAMBA

DETAIL OF VENDER/SUPPLIER FROM WHICH ROYALITY & GST NOT PAID/DEDUCTED AND PAYMENT MADE WITHOUT JOINT SIGN

01-04-2021 TO 31-03-2023

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/BILL DATE	NAME OF MATERIAL	QTY. M3	QTY. TONNE	RATE OF ROYALITY	ROYLITY NOT PAID	AMOUNT PAID	AMOUNT TO BE PAID	GST NOT PAID /DEDUCTED
1	PAWAN KUMAR SHARMA	CSC	03/18.12.23	SAND	7	11.34	80	907.2	28000.0	26666.7	1333.3
				AGG	5	9.5	80	760.0	21430.0	20409.5	1020.5
2	PAWAN KUMAR SHARMA	VKVNY	20/25.08.23	SAND	3.24	5.2488	80	419.9	11036.0	10510.5	525.5
				AGG	0.51	0.969	80	77.5	1428.0	1360.0	68.0
3	PAWAN KUMAR SHARMA	15TH FC	36/16.01.24	SAND	2.02	3.2724	80	261.8	8309.0	8103.8	405.2
				AGG	0.96	1.824	80	145.9	4360.0	4152.4	207.6
4	PAWAN KUMAR SHARMA	15TH FC	39/08.03.24	SAND	1.12	1.8144	80	145.2	3615.0	3442.9	172.1
				AGG	2.12	4.023	80	322.2	5655.0	5385.7	269.3
5	SUNJAY KUMAR PO AURA	14TH FC	16/30.05.22	SAND	6.42	10.4004	80	832.0	20365.0	19371.4	993.6
				AGG	8.57	16.283	80	1302.6	23996.0	22853.3	1142.7
6	SANDEEP KUMAR PO AURA	14TH FC	25/28.07.22	STONE	18.89	28.7128	80	2297.0	42502.0	40478.1	2023.9
7	SANDEEP KUMAR PO AURA	14TH FC	26/28.07.22	STONE	15	33.75	80	2700.0	33750.0	32142.9	1607.1
8	SANDEEP KUMAR PO AURA	14TH FC	27/28.07.22	STONE	15	33.75	80	2700.0	33750.0	32142.9	1607.1
9	SUNJAY KUMAR PO AURA	VKVNY	16/18.07.22	AGG	3.68	6.992	80	559.4	10400.0	9904.8	495.2
10	PAWAN KUMAR SHARMA	VKVNY	25/17.08.22	SAND	5.77	9.3474	80	747.8	19618.0	18683.8	934.2
11	PAWAN KUMAR SHARMA	CD-2515	48/08.02.23	AGG	9.32	17.708	80	1416.6	26096.0	24853.3	1242.7
				SAND	4.92	7.9704	80	637.6	16728.0	15931.4	796.6
12	M/S DEVI PRASAD PO AURA	MNREGA	07/30.03.22	STONE	45.04	101.34	60	6080.4	34140.0	32514.3	1625.7
13	NARAYAN SINGH PO AURA	MNREGA	15/30.12.21	AGG	12.63	23.997	60	1439.8	53046.0	50520.0	2526.0
				SAND	7.53	12.1986	60	731.9	30120.0	28685.7	1434.3
14	M/S DEVI PRASAD PO AURA	MNREGA	07/30.03.22	STONE	8.16	18.36	60	1101.6	13365.0	12728.6	636.4
15	NARAYAN SINGH PO AURA	MNREGA	06/30.09.22	AGG	12.18	23.142	80	1851.4	21362.0	20321.6	1041.0
15	NARAYAN SINGH PO AURA	MNREGA	06/30.09.22	AGG	8.22	15.618	80	1249.4	23016.0	21920.0	1096.0
	Total			TOTAL				28687.4	487287.0	296893.3	14844.7

Remarks:

1. All Figures are taken up to 2 Decimal

   Rate of Royalty is taken Rs 80 per Tonne as Per Second Schedule of Deptt. Of Industry & Mining

   Conversion Factor

2. A. From Square Feet to Cubic Meter M3

   35.31 Sq.Ft. = 1 Cubic Meter (M^3) — Common to all items Sand, Stone & Aggregate

3. B. From Cubic Meter (M^3) to Tonne — RATE

   One Cubic Meter (M^3) Sand — 1.62 *1=1.62

   One Cubic Meter (M^3) Aggregate — 1.9 *1=1.9

   One Cubic Meter (M^3) Stone — 2.24 *1=2.24

4. All items Sand, Stone & Aggre. **average weight** are taken for conversion while cubic meter to tonne.
5. As per quatation terms and condition Rate are inclusive of all Taxes but it is not cleared wether it is paid or not

24

सचिव
ग्राम पंचायत औरा
विकास खण्ड भरमौर